

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-207/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटेया, गोपालगंज का दिनांक-01.12.2022 से 29.12.2025 तक का अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-01.12.2022 से 30.11.2025 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-01.12.2025 को	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)
iii	दिनांक-02.12.2025 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iv	दिनांक-03.12.2025 से 26.12.2025 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)
v	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iv	दिनांक-29.12.2025 को	- पदग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-207 /2026-

2309/35

पटना, दिनांक 23/9 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटेया, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/डा० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटेया, गोपालगंज/अशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

M. K. 21/10/26
सरकार के उप सचिव